

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, भदोही।

पत्रांक: परिषद/ 5933-40

/2015-16/

दिनांक 21.9.15

विज्ञान/गणित शिक्षक पद पर नियुक्त/पदस्थापन आदेश

शासनादेश संख्या: 2851(1)/79-5-12-1(4)/13 दि० 11 जुलाई 2013, शासनादेश सं० 3227/79-5-2013-1 (4)/13 दिनांक 23 अगस्त 2013, एवं शासनादेश सं० 1682/79-5-2015-1(4) दि० 17 जून 2015 तथा सचिव उ०प्र० बे०शि०प० इलाहाबाद के पत्रांक: बे०शि०प०/9101-9344/2015-16 दि० 15.09.2015 एवं पत्रांक: बे०शि०प०/9677-9921/ 2015-16 दि० 18.09.2015 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान/गणित विषय के सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर औपबन्धिक रूप से निम्नांकित शिक्षकों की तैनाती/पदस्थापन निम्नांकित विवरण के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान/गणित विषय के सहायक अध्यापक के पद पर वेतनक्रम 9300-34800 ग्रेड पे रू० 4600 में की जाती है। शिक्षक अपनी तैनाती/पदस्थापन के विद्यालय में दिनांक 12.10.2015 तक अनिवार्यतः योगदान प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि तक आवंटित विद्यालय में योगदान प्रस्तुत न करने की दशा में आपका औपबन्धिक नियुक्ति निरस्त माना जायेगा और कोई पुनर्विचार नहीं किया जायेगा, जिसके लिये शिक्षक स्वयं उत्तरदायी होंगे।

रजिस्ट्रेशन नम्बर	अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी का नाम	पिता का नाम/पति का नाम	पता	जन्म तिथि	पदस्थापित उच्च प्राथमिक विद्यालय का नाम	विकास खण्ड
4800124257	कु० पुष्पा	एस०एस० चौधरी	तिलक नगर अल्लापुर जार्जटारुन, इलाहाबाद	12/01/1977	प्रयागदासपुर	डीघ

यह तैनाती/पदस्थापन इस प्रतिबन्ध के साथ किया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन एवं काउन्सलिंग के समय प्रस्तुत किये गये समस्त अंक पत्र/प्रमाण-पत्र यथा-शैक्षिक/प्रशिक्षण सम्बन्धी उपाधियां/अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रमाण-पत्र/निवास प्रमाण-पत्र/जाति प्रमाण-पत्र/विकलांग प्रमाण-पत्र/भूतपूर्व सैनिक (स्वयं)/स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आश्रित सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों की छायाप्रतिया यदि जॉचोपरान्त झूठी, कूटरचित अथवा अन्य किसी कारण से दूषित/फर्जी पायी जाती है तो सम्बन्धित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही के साथ-साथ उसकी तैनाती/पदस्थापन नियुक्ति तिथि से स्वतः निरस्त हो जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अभ्यर्थी का होगा।

उक्त नियुक्ति सम्बन्धी कार्यवाही मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित विभिन्न याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

(डॉ० सत्य प्रकाश त्रिपाठी)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

भदोही

27

प्र० उ० प्र० शासनादेश सं० 3227/79-5-2013-1 (4)/13 दि० 11 जुलाई 2013
निर्देशानुसार अतिरिक्त 21/9/15
MB.I.O. 21-9-15
Deegh, S.R.N. Bhadohi